

## अखलि भारतीय न्यायकि सेवा

### प्रलिमिंस के लयि:

[अखलि भारतीय न्यायकि सेवा \(AIJS\), संघ लोक सेवा आयोग](#)

### मेन्स के लयि:

भारत में न्यायपालिका से संबंधति पहलें, भारतीय न्यायकि प्रणाली से संबंधति चुनौतियाँ

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने न्यायपालिका की वविधिता में वृद्धि करने हेतु उपेक्षति सामाजकि समूहों की भागीदारी को बढ़ाने के लयि अखलि भारतीय न्यायकि सेवा (All India Judicial Service- AIJS) की वकालत की।

### अखलि भारतीय न्यायकि सेवा (AIJS) क्या है?

#### परचिय:

- यह सभी राज्यों में अतरिकित ज़िला न्यायाधीशों एवं ज़िला न्यायाधीशों के स्तर पर न्यायाधीशों के लयि एक प्रस्तावति केंद्रीकृत भरती प्रणाली है।
- इसका लक्ष्य संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मॉडल के समान न्यायाधीशों की भरती को केंद्रीकृत करना तथा सफल उम्मीदवारों को राज्यों का कार्यभार सौंपना है।
  - वर्ष 1958 और 1978 की वधिआयोग की रपौर्टों की सफिरशियों के अनुसार, AIJS का उद्देश्य अलग-अलग वेतन, रकितयिों पर भरती और मानकीकृत राष्ट्रव्यापी प्रशकिषण जैसे संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करना है।
- संसदीय स्थायी समति ने वर्ष 2006 में अखलि भारतीय न्यायकि सेवा के समर्थन पर पुनर्वचिर कयिा।
- संवैधानकि आधार:
- संवधान का अनुच्छेद 312 केंद्रीय सविलि सेवाओं के समान ही राज्यसभा के कम-से-कम दो-तहिाई सदस्यों द्वारा समर्थति एक प्रस्ताव पर AIJS की स्थापना का प्रावधान करता है।
- हालाँकि अनुच्छेद 312 (2) में कहा गया है कि AIJS में ज़िला न्यायाधीश (अनुच्छेद 236 में परभाषति) से नीचे स्तर के कसिी भी पद को शामिल नहीं कयिा जा सकता है।
  - अनुच्छेद 236 के अनुसार, एक ज़िला न्यायाधीश के अंतरगत नगर सविलि न्यायालय का न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश, संयुक्त ज़िला न्यायाधीश, सहायक ज़िला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसीडेंसी मजसि्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजसि्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश हैं।

#### आवश्यकता:

- AIJS न्यायाधीशों के चयन और प्रशकिषण का एक समान और उच्च मानक सुनशिचति करेगा, जसिसे न्यायपालिका की गुणवत्ता एवं दक्षता में वृद्धि होगी।
- AIJS नचिली अदालतों में न्यायाधीशों की रकितयिों को भरेगा, वर्तमान में देश भर में नचिली न्यायपालिका में लगभग 5,400 पद रकित हैं और मुख्य रूप से राज्यों द्वारा नयिमति परीक्षा आयोजति करने में अत्यधिक देरी के कारण नचिली न्यायपालिका में 2.78 करोड़ मामले लंबति हैं।
- AIJS देश की सामाजकि संरचना को दर्शाते हुए वभिन्न क्षेत्रों, लयि, जातयिों और समुदायों के न्यायाधीशों के प्रतनिधित्व एवं वविधिता को बढ़ाएगा।
- AIJS न्यायपालिका संबंधी नयिकृतयिों में न्यायकि या कार्यकारी हस्तक्षेप की गुंजाइश को कम करेगा, जसिसे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनशिचति होगी।
- AIJS प्रतभाशाली और अनुभवी न्यायाधीशों का एक समूह तैयार करेगा जनिहें उच्च न्यायपालिका में नयिकृत कयिा जा सकता है, जसिसे



उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। 150 शब्द (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/all-india-judicial-service-2>

